

डफिऑल्ट बेल

प्रलिमिन्स के लिये:

अनुच्छेद 21, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सर्वोच्च न्यायालय

मेन्स के लिये:

डफिऑल्ट बेल एवं गरिफ्तारी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [राष्ट्रीय जांच एजेंसी](#) (National Investigation Agency-NIA) ने बॉम्बे सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई है जिसमें वकील-कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को डफिऑल्ट/वैधानिक जमानत (Statutory Bail) दी गई थी।

- जमानत कानूनी हरिसत में रखे गए व्यक्ति की सशर्त/अनंतमि रहिाई है (ऐसे मामलों में जनि पर अभी न्यायालय द्वारा नरिणय दयिा जाना बाकहिो) जसिमें उस व्यक्ति द्वारा आवश्यकता पडने पर अदालत में पेश होने का वादा कयिा जाता है।

प्रमुख बडिु

डफिऑल्ट बेल के बारे में:

- कानूनी स्रोत:** यह जमानत का अधिकार है जो तब प्राप्त होता है जब पुलिस न्यायिक हरिसत में लयि कसिी व्यक्ति के संबंघ में एक नरिदषि्ट अवधकि भीतर जाँच पूरि करने में वफिल रहती है।
 - इसे वैधानिक जमानत के रूप में भी जाना जाता है।
 - यह दंड प्रक्रयिा संहतिा की धारा 167(2) में नहिति है।
- सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:** वर्ष 2020 में **बकिरमजीत सहि मामले**, में **सर्वोच्च न्यायालय** द्वारा देखा गया कि आरोपी को 'डफिऑल्ट जमानत' का एक अपरहार्य अधिकार प्राप्त है, यदकि उसके द्वारा कसिी अपराध की जांच के लयि अधिकितम अवधकि समाप्त होने के बाद और चार्जशीट दायर करने से पहले आवेदन कयिा करता है।
 - CrPC की धारा 167 (2) के तहत डफिऑल्ट जमानत का अधिकार, न केवल एक वैधानिक अधिकार, बल्कि **अनुच्छेद 21** के तहत कानून द्वारा स्थापति प्रक्रयिा का हसिसा भी है।
- अंतरनहिति सिद्धांत:** सामान्य तौर पर, जाँच एजेंसी की चूक पर जमानत के अधिकार को 'अपरहार्य अधिकार' माना जाता है, लेकनि उचति समय पर इसका लाभ उठायिा जाना चाहयि।
 - डफिऑल्ट बेल एक अधिकार है जसिमें अपराध की प्रकृति को बेल का आधार न माना जाता है।
 - इसकी नरिधारति अवधकि जसिके भीतर आरोप पत्र दायर कयिा जाना है, उस दनि से शुरु होती है तथा जब आरोपी को पहली बार रमिांड पर लयिा जाता है तब तक होती है।
 - CrPC की धारा 173 के तहत, पुलिस अधिकारी कसिी अपराध की आवश्यक जाँच पूरि होने के बाद रपिरट दरज़ करने के लयि बाधयि है। इस रपिरट को आम बोलचाल की भाषा में चार्जशीट (Charge Sheet) कहा जाता है।
- समय अवधकि:** डफिऑल्ट बेल/जमानत का मुद्दा वहाँ उठता है जहाँ पुलिस के लयि 24 घंटे में जाँच पूरि करना संभव नहीं है, पुलिस सिद्धि को अदालत में पेश करती है और पुलिस न्यायिक हरिसत के लयि आदेश माँगती है।
 - अधकिांश अपराधों के लयि, पुलिस के पास जाँच पूरि करने और न्यायालय के समकष अंतमि रपिरट दाखलि करने हेतु 60 दनिों का समय होता है।
 - हालौकि जहाँ अपराध में मौत की सजा या आजीवन कारावास, या कम से कम 10 साल की जेल की सजा होती है, वहाँ यह अवधकि 90 दनि है।
 - दूसरे शब्दों में एक मजसि्ट्रेट कसिी व्यक्ति की न्यायिक रमिांड के लयि 60-या 90-दनि की सीमा से अधकि अधकृत नहीं कर सकता है।
 - इस अवधकि अंत में, यदकि जाँच पूरि नहीं होती है, तो न्यायालय उस व्यक्ति को रहिा कर देगी "यदविह जमानत देने के लयि तैयार है और स्वयं को प्रस्तुत करता है"।

